



के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य) शामिल होते हैं।

○ उद्देश्य:

• इसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन वशिष्ट और नशुचित मद पर ही खर्च किया जाए। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है।

○ कार्य:

- सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिये सदन द्वारा दी गई राशिके वनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जाँच करना।
  - सदन के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेखे, जिन्हें समिति ठीक समझे, सवाय ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित, जो सार्वजनिक उपक्रम समिति को आवंटित किये गए हैं।
- सरकार के वनियोग लेखों पर [भारत के नयित्त्रक-महालेखापरीक्षक](#) (CAG) के प्रतविदनों के अलावा समिति राजस्व प्राप्तियों, सरकार के वभिनिन मंत्रालयों/वभागों द्वारा व्यय और स्वायत्त नकियों के लेखों पर नयित्त्रक-महालेखापरीक्षक के वभिनिन लेखापरीक्षा प्रतविदनों की जाँच करना।
- यह समिति, सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च के साथ-साथ गलत आकलन या प्रक्रिया में अन्य दोषों के कारण हुई बचत की भी जाँच करती है।

■ संसदीय समितियों का महत्त्व:

○ मंच प्रदान करना:

- चूँकि संसद जटिल मामलों पर वचार करती है, इसलिये ऐसे मामलों को बेहतर ढंग से समझने के लिये तकनीकी वशिषज्जता की आवश्यकता होती है।
- ये समितियाँ एक ऐसा मंच प्रदान करने में मदद करती हैं जहाँ सदस्य मामलों के अध्ययन के दौरान वविधि क्षेत्र/वषिय वशिषज्जों और सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ सकते हैं।

○ राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना:

- समितियाँ राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिये भी एक मंच प्रदान करती हैं।
- सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को टीवी पर प्रसारित किया जाता है और अधिकांश मामलों में सांसदों के अपने पार्टी के पदों पर बने रहने की संभावना होती है।
- ये समितियाँ परोक्ष रूप से भी मीटिंग करती हैं जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से सवाल करने और मुद्दों पर चर्चा करने तथा आम सहमति पर पहुँचने में मदद मिलती है।

○ नीतगित मुद्दों की जाँच करना:

- समितियाँ अपने मंत्रालयों से संबंधित नीतगित मुद्दों की भी जाँच करती हैं तथा सरकार को सुझाव देती हैं।
- इन सफारिशों को स्वीकार किया गया है या नहीं, इस पर सरकार को रपिर्ट देनी होती है।
- इसके आधार पर समितियाँ एक कार्रवाई रपिर्ट पेश करती हैं, जो प्रत्येक सफारिश पर सरकार की कार्रवाई की स्थिति दर्शाती है।

■ समितियों को शामिल न करने से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ:

○ संसदीय प्रणाली की सरकार का कमजोर होना:

- एक संसदीय लोकतंत्र संसद और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के वलिय के सिद्धांत (Doctrine of Fusion of Powers) पर कार्य करता है, लेकिन संसद को सरकार की नगिरानी एवं अपनी शक्त को नयित्त्रण में रखना चाहिये।
- इस प्रकार किसी महत्त्वपूर्ण कानून को पारित करने में संसदीय समितियों को दरकिनार करने से लोकतंत्र के कमजोर होने का खतरा होता है।

○ बहुमत को लागू करना:

- भारतीय व्यवस्था में वधियकों को समितियों के पास भेजना अनविर्य नहीं है। यह अध्यक्ष (लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में अध्यक्ष) के वविक पर छोड़ दिया गया है।
- अध्यक्ष को वविकाधीन शक्ति देकर लोकसभा में व्यवस्था को वशिष रूप से कमजोर कर दिया गया है जहाँ सत्ताधारी दल के पास बहुमत होता है।

## आगे की राह

- हमारे लोकतंत्र में सरकार के काम की जाँच करने वाले प्रतनिधि नकिय के रूप में संसद की भूमिका केंद्रीय है। इसके संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिये यह अनविर्य है कि संसद प्रभावी ढंग से कार्य करे।
- इसके साथ ही बलियों की उचित जाँच गुणवत्ता वधियन की एक अनविर्य आवश्यकता है। वधियन पारित करते समय संसदीय समितियों को अलग रखना लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस